[2018] 5 एस. सी. आर 436

यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और अन्य

वी.

यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का कल्याण

समाज और अन्य ई. टी. सी.

(सिविल अपील सं। 5252-5255 2018 का)

16 मई, 2018

[आदर्श कुमार गोयल और उदय उमेश ललित, जे. जे.]

सेवा कानून: पेंशन-महँगाई भत्ता-महँगाई राहत पर मूल्य वृद्धि के खिलाफ पूर्ण मुआवजे के लिए सेवानिवृत्त लोगों का दावा

सेवानिवृत्त लोगों की शिकायत यह थी कि अपीलकर्ता-बैंक ने पेंशनभोगियों की सेवानिवृत्ति की तारीखों के आधार पर महँगाई राहत के संदर्भ में अंतर किया और यह कि 1.11.2002 से पहले सेवानिवृत्त लोगों को पूर्ण महँगाई राहत का लाभ देने से इनकार करना मनमाना था-उच्च न्यायालय ने कहा कि नवंबर 2002 से पहले के सेवानिवृत्त लोगों और नवंबर 2002 के बाद के सेवानिवृत्त लोगों के बीच अंतर करने का कोई औचित्य नहीं है और अपीलकर्ता को सभी पेंशनभोगियों को उसी दर पर महँगाई राहत का भुगतान करना चाहिए जो पीड़ितों को करना चाहिए, बैंकों ने अपील की-आयोजित: प्रत्येक वर्ग विशिष्ट और अलग-अलग मापदंडों द्वारा शासित होता है-लाभों के लाभों को प्रदान करना

सेवानिवृत्त लोगों के दो अलग-अलग वर्गों का एक पूरी तरह से अलग सूत्र है और दरें और किसी भी गणना पर संश्लेषण करना संभव नहीं है या

सेवानिवृत्त लोगों के दोनों समूहों को किसी भी सामान्य मापदंड पर रखना-इस प्रकार एक सपाट दर को अपनाना खतरनाक है-के साथ छेड़छाड़ करने का कोई भी प्रयास।

या तो सूत्र या दर पूरी योजना बना देगी।

अप्रभावी-सेवानिवृत्त लोगों की दोनों श्रेणियां, अर्थात् नवंबर 2002 से पहले और नवंबर 2002 के बाद, अलग-अलग आधार पर खड़ी हैं, महँगाई राहत की गणना को नियंत्रित करने वाले मापदंड भी एक अलग स्तर पर हैं-उच्च न्यायालय इन पहलुओं की सराहना करने में विफल रहा-विवादित निर्णय पूरी तरह से गलत था और इसे दरकिनार कर दिया गया है।

अपीलों को अनुमति देना और रिट याचिका को खारिज करना, न्यायालय

पकड़ना: 1.1 पेंशन विनियमों के परिशिष्ट II में कर्मचारियों को तीन अलग-अलग क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया था और

कर्मचारियों के संबंध में मूल पेंशन पर देय महँगाई राहत

इन तीनों श्रेणियों में टेपरिंग सूत्र के आधार पर था जो प्रत्येक श्रेणी में भिन्न था। जिनके बारे में वे पहली श्रेणी में थे अर्थात वे जो जल्द से जल्द सेवानिवृत्त हुए थे,

महँगाई राहत पहले स्लैब पर 0.67% थी जिसका नाम था

मूल पेंशन का Rs.1250/-। दर तब कम हो गई और अंत में

Rs.2130/- से अधिक मूल पेंशन का 0.17% था। उसी समय दूसरी श्रेणी में सेवानिवृत्त लोगों के संबंध में, पहले स्लैब के संबंध में महँगाई राहत की दर 0.35 प्रतिशत थी, अर्थात् Rs.2400/- तक। यहाँ भी महँगाई राहत एक टेपरिंग फॉर्मूले पर थी और अंत में Rs.4100/- से अधिक मूल पेंशन का 0.09% था। तीसरी श्रेणी जो 01.04.1998 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के संबंध में थी, पहले स्लैब के लिए Rs.3380/- तक की दर 0.25% थी। टेपरिंग फार्मूले के अनुसार, यह दर मूल पेंशन का 0.06 प्रतिशत थी जो Rs.5770/- से अधिक थी। यदि 9वें द्विदलीय समझौते का खंड 7 (2) दिनांक 27.04.2010 है

पेंशन विनियमों के परिशिष्ट II की अंतिम श्रेणी की तुलना में, 01.04.1998 से 31.10.2002 की अवधि के दौरान सेवानिवृत्त लोगों के संबंध में शायद ही कोई बदलाव हुआ हो। इस प्रकार, नवंबर 2002 से पहले सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों द्वारा जो भी लाभ प्रदान किया गया था और आनंददायक था, उसे वापस नहीं लिया गया था। [पैरा 21]

[464 - जी-एच; 465-ए-डी]

1.2 यदि दोनों श्रेणियों को 9वें द्विदलीय समझौते द्वारा निपटाया जाता है

दिनांक 27.04.2010 की तुलना आगे की जाती है, 01.11.2002 से पहले के सेवानिवृत्त लोग एक टेपरिंग पर महँगाई राहत के हकदार होंगे।

सूत्र जहाँ Rs.3550/- तक के प्रारंभिक स्लैब को 0.24% के भागफल द्वारा नियंत्रित किया जाना है। टेपरिंग फॉर्मूला तब Rs.6010/- से अधिक मूल पेंशन के 0.06% के साथ समाप्त होता है। प्रारंभिक बिंदु 0.24% के स्तर पर है जबकि अंतिम बिंदु 0.06% तक कम हो जाता है। उन लोगों को अधिकतम लाभ देने की कोशिश की जाती है जो स्लैब के निचले स्तर पर मूल पेंशन प्राप्त कर रहे हैं जिन्हें 0.24% पर महँगाई राहत मिलेगी। इसके विपरीत, 01.11.2002 के बाद सेवानिवृत्त होने वालों को मूल पेंशन के 0.18% की सपाट दर पर महँगाई राहत दी जानी है। सैद्धांतिक रूप से, 01.11.2002 से पहले सेवानिवृत्त लोगों के लिए प्रारंभिक स्तर 0.24% के उच्च स्तर पर है, जबकि बाद में सेवानिवृत्त लोगों के लिए 01.11.2002 . संभवतः यह कहा जा सकता है कि उन लोगों के लिए जो Rs.6000/- के क्षेत्र में बुनियादी पेंशन के साथ हैं, एक टेपरिंग सूत्र के आधार पर, अंतिम विश्लेषण में, औसत 0.18% के समान स्तर तक हो सकता है। [पैरा 22] [465-ई-जी]

2. याचिका में जो समानता मांगी गई थी, वह 0.18% की समान दर की प्रयोज्यता के संबंध में इतनी अधिक नहीं थी, लेकिन इसमें थी

"सपाट दर" विचार का सम्मान। महँगाई भत्ते की गणना [2018] 5 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

शांतिप्रिय राय के मामले में Rs.7880/- की मूल पेंशन पर Rs.14274/- का निर्धारण दिनांक 27.04.2010 के द्विदलीय समझौते में दिए गए टेपरिंग सूत्र को ध्यान में रखते हुए किया गया है। सारणीबद्ध चार्ट तब Rs.7880/- की पूरी मूल पेंशन पर 0.24% की स्लैब दर के साथ महँगाई भत्ते के कारण पूर्ण मुआवजे की गणना करने के लिए आगे बढ़ता है-जो आंकड़ा Rs.18912/- पर आता है। इस प्रकार निवेदन यह था कि महँगाई राहत की गणना मूल पेंशन की संपूर्णता के लिए 0.24% पर की जाए, न कि केवल Rs.3550/- तक के पहले स्लैब के लिए। लेकिन इस तरह की गणना पूरी तरह से उस दर की अवहेलना करती है जो 01.11.2002 सेवानिवृत्त होने के बाद के मामले में लागू एक सपाट दर है, जो मूल पेंशन की पूरी राशि के लिए 0.24% नहीं है, बल्कि 0.18% के एक अलग स्तर पर है और तिमाही औसत की सीमा आवश्यकता है।

सूचकांक भी अलग है। यदि हम केवल 01.11.2002 से पहले सेवानिवृत्त लोगों के मामले में 0.18% की समान दर उधार लेते हैं, तो संबंधित सेवानिवृत्त लोगों को नुकसान हो सकता है। उदाहरण के लिए, रुपये की मूल पेंशन। 7880 / - उक्त शांतिप्रिय रॉय ने रुपये का आंकड़ा दिया। 14184 / - 0.18% की सपाट दर के साथ। इसलिए उसी दर को अपनाना और लागू करना सही नहीं होगा जो लागू की गई है। पद 01.11.2002 सेवानिवृत्त लोगों के मामले में। [पैरा 23] [465-जी-एच; 466-ए-सी]

3. टेपरिंग फॉर्मूला निस्संदेह मूल पेंशन के Rs.3550/- के पहले खंड के लिए 0.24% से शुरू होता है और फिर

यह प्रस्तुत करने के लिए रिकॉर्ड में रखा गया है कि नवंबर 2002 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले लोग नवंबर 2002 से पहले के सेवानिवृत्त लोगों की तुलना में 0.18% महँगाई भत्ते के साथ भी काफी अधिक लाभ के साथ चले जाते हैं। प्रत्येक वर्ग विशिष्ट और अलग-अलग मापदंडों द्वारा शासित होता है। दोनों वर्ग अलग हैं और एक नहीं बनाते हैं समरूप समूह। यह बेहद कठिन और खतरनाक होगा।

एक सपाट दर को अपनाना जैसा कि अनुमानित किया जाना चाहिए। [पैरा 24] [466-ई जी; 467-ए-बी]

4. किसी भी सूत्र या दर के साथ छेड़छाड़ करने का कोई भी प्रयास पूरी योजना को अव्यवहारिक बना देगा।

यह सच है कि यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया बनाम। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का वेल्फेयर एसो।

रिजर्व बैंक ऑफ इन द्वारा टेपरिंग फॉर्मूला को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन यह अपने आप में 01.11 से पहले सेवानिवृत्त लोगों को हकदार नहीं बना सकता है। 2 या तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लागू उसी दर पर या 0.20 की सपाट दर पर लाभ प्रदान किया जाएगा जैसा कि अनुमान लगाया गया था। [पैरा 25] [467-सी, ई]

इंडियन एक्स-सर्विसेज लीग और अन्य बनाम। भारत संघ और अन्य (1991) 2 एस. सी. सी. 104: [1991] 1 एससीआर 158;

भारत संघ बनाम। पी. एन. मेनन और अन्य (1994) 4

और दूसरा (2000) 6 एस. सी. सी. 359: [2000] 1 पूरक। एससीआर 538 पर भरोसा किया।

डी. एस. नकारा बनाम भारत संघ (1983) 1 एससीसी 305:

[1983] 2 एस. सी. आर. 165; कल्लक्कुरिची तालुक सेवानिवृत्त

अधिकारी संघ तमिलनाडु और अन्य बनाम। की स्थिति

तमिलनाडु (2013) 2 एससीसी 772: [2013] 4 एससीआर 883;

कृशेना कुमार बनाम भारत संघ और अन्य (1990) 4 एस. सी. सी. 207 [1990] 3 एस. सी. आर. 352; पंजाब राज्य बनाम। न्याय

एस. एस. दीवान (सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश) और अन्य (1997)

4 एस. सी. सी. 569 [1997] 3 एस. सी. आर. 1027; कर्नल बी. जे. अक्कारा

(सेवानिवृत्त) वी. भारत सरकार और अन्य (2006) 11 एससीसी 709 [2006] 7 पूरक। एस. सी. आर. 58-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2013] 4 एससीआर 883

पैरा 12

संदर्भित किया गया है

[1990] 3 एससीआर 352

संदर्भित किया गया है

पै

रा 13

[1991] 1 एससीआर 158

उस पर भरोसा करें

पैर

ा 19

(1994) 4 एससीसी 68

उस पर भरोसा करें

पैर

ा 19

[1997] 3 एससीआर 1027

संदर्भित किया गया है

पै

रा 19

[2006] 7 पूरक। एससीआर 58

संदर्भित किया गया है

पै

रा 19

[2013] 4 एससीआर 883

संदर्भित किया गया है

पैर

ा 19

[2000] 1 पूरक। एससीआर 538

उस पर भरोसा करें

पै

रा 19

सिविल अपील

न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं। 52

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ए. पी. ओ. सं. 325 में कलकत्ता में उच्च न्यायालय के दिनांकित 26.09.2016 आदेश के साथ पठित निर्णय और अंतिम आदेश से

2015 का ए. पी. ओ. सं. 2015 का 316 और 2016 का आर. वी. डब्ल्यू. ओ. सं. 57।

ध्रुव मेहता, वी. के. बाली, जितेंद्र शर्मा, ए. एस. नांबियार, सुश्री वी. मोहना, वरिष्ठ अधिवक्ता। , राजेश कुमार, गौरव कुमार सिंह, राकेश

चौरसिया, भूमित सोलंकी, मेसर्स मित्तर एंड मित्तर कंपनी, अरुण के. सिन्हा, पी. एन. झा, सुश्री ऋचा नायक, सुश्री रितु पुरी, आदित्य सोनी, सुमित सिन्हा, सिन्हा श्रेय निखिलेश, हर्ष बी., सेवा राम, सी. एस. वालिया, पी. के. मनोहर, राजशेखर राव, कोटला हर्षवर्धन, सुश्री अमिता सिंह कल्कल, सुश्री अदिति गुप्ता, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

उदय उमेश ललित, जे. 1. छुट्टी दे दी गई।

2. विशेष अनुमति द्वारा ये अपीलें (i) ए. पी. ओ. Nos.315 और 2015 के 316 में कलकत्ता में उच्च न्यायालय द्वारा पारित सामान्य निर्णय और अंतिम आदेश; और (ii) आर. वी. डब्ल्यू. ओ. Nos.57 में कलकत्ता में उच्च न्यायालय द्वारा पारित 05.12.2016 और 2015 के उपरोक्त ए. पी. ओ. Nos.315 और 316 में 2016 के 58 के आदेश के खिलाफ निर्देशित हैं। अपील के तहत अपने निर्णय और आदेशों द्वारा, उच्च न्यायालय ने कहा कि नवंबर, 2002 से पहले के सेवानिवृत्त और नवंबर, 2002 के बाद के सेवानिवृत्त लोगों के बीच अंतर करने का कोई औचित्य नहीं है और अपीलार्थी को सभी पेंशनभोगियों को समान दर पर महँगाई राहत का भुगतान करना चाहिए।

3. एक ओर भारतीय बैंक संघ द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए 58 बैंकों के प्रबंधन और दूसरी ओर अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए उनके कर्मचारियों के बीच दिनांक 29.10.1993 का समझौता ज्ञापन किया गया था। कहा। ज्ञापन में कहा गया है कि दोनों पक्ष नियोक्ताओं के बदले श्रमिकों/कर्मचारियों के लिए बैंकों में पेंशन योजना शुरू करने पर सहमत हुए हैं।

भविष्य निधि में योगदान और इस तरह से सहमत पेंशन योजना व्यापक रूप से केंद्र सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक के पैटर्न पर होनी थी। ज्ञापन के पैराग्राफ 6 में पेंशनभोगियों को महँगाई भत्ते में राहत के बारे में बताया गया है और इसमें कहा गया है:

" पेंशनभोगियों को इस तरह की दरों पर महँगाई राहत दी जाएगी -

भारतीय रिजर्व बैंक में चल रहे महँगाई भत्ते के सूत्र के अनुरूप समय-समय पर निर्धारित किया जा सकता है।

4. बैंकिंग कंपनियों (यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का अधिग्रहण और हस्तांतरण) की धारा 19 की उप-धारा (2) के खंड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए।

यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का वेल्फेयर एसो। [उदय उमेश ललित, जे।]

उपक्रम) अधिनियम, 1970, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का निदेशक मंडल

भारत ने भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श के बाद और केंद्र सरकार की पिछली मंजूरी के साथ "यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995 (इसके बाद" पेंशन विनियम "के रूप में संदर्भित) बनाया। पैराग्राफ 2 (डी) ने "औसत परिलब्धियों" को पिछले 10 महीनों के दौरान एक कर्मचारी द्वारा निकाले गए वेतन का औसत के रूप में परिभाषित किया है।

बैंक में सेवा जबकि पैरा 2 (ओं) में "वेतन" को परिभाषित किया गया है। पेंशन विनियमों का पैरा 37 इस प्रकार था:

" महँगाई राहत-(1) मूल पेंशन या पारिवारिक पेंशन या अमान्य पेंशन या अनुकंपा भत्ता पर परिशिष्ट-2 में निर्दिष्ट दरों के अनुसार महँगाई राहत दी जाएगी। महँगाई से संबंधित पेंशन विनियमों का परिशिष्ट II

मूल पेंशन पर भत्ता। इसने कर्मचारियों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया:

" (क) वे कर्मचारी जो 01.01.1986 पर या उसके बाद और 01.11.1992 से पहले सेवानिवृत्त हुए थे और वे अधिकारी जो या

01.01.86 के बाद लेकिन 01.07.1993 से पहले।

(ख) वे कर्मचारी जो 01.11.1992 पर या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए और अधिकारी

जो 01.07.1993 पर या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए और

(ग) वे कर्मचारी जो 01.04.1998 पर या उसके बाद सेवानिवृत्त होंगे। प्रतिशत के रूप में महँगाई भत्ता राहत की विभिन्न दरें

उक्त परिशिष्ट-2 में उपरोक्त तीन श्रेणियों के संबंध में मूल पेंशन निम्नानुसार निर्धारित की गई थी:

" एपेन्डिक्स-II

(नियम 37 देखें)

मूल पेंशन पर महँगाई राहत निम्नानुसार होगी: (1) कर्मचारी कैडर में काम करने वाले कर्मचारियों के मामले में

और जो 1 जनवरी, 1986 को या उसके बाद, लेकिन 1 नवंबर, 1992 से पहले सेवानिवृत्त हुए; और उन कर्मचारियों के मामले में जो अधिकारी संवर्ग में थे और जो 1 जनवरी, 1986 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए।

1 जनवरी, 1986 के पहले दिन, लेकिन जुलाई, 1993 के पहले दिन से पहले, औद्योगिक श्रमिकों के लिए 1960 की श्रृंखला में अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के तिमाही औसत में 600 अंकों से अधिक प्रत्येक 4 अंकों की प्रत्येक वृद्धि या प्रत्येक गिरावट के लिए महँगाई राहत देय होगी।

प्रत्येक चार बिंदुओं के लिए महँगाई राहत में वृद्धि या कमी गणना निम्नलिखित तरीके से की जाएगी:

बुनियादी पेंशन का पैमाना

	महँगाई राहत की दर प्रति मूल का मासिक प्रतिशत
(1)	
पेंशन	(2)
रुपये तक। 1250	
((i)	0.67 प्रतिशत।
((ख)	
Rs.1251 से रु। 2000	0.67 रुपये का प्रतिशत। 1250 प्लस 0.55 मूल पेंशन का प्रतिशत
रुपये से अधिक। 1250 .	
(iii)	
रु. 2001 रुपये का Rs.2130	0.7 प्रतिशत। 1 250 प्लस 0.55 प्रतिशत का अंतर
मूल का 0.33 प्रतिशत रुपये से अधिक की पेंशन। 2000 .	

((iv)

ऊपर Rs.2130

0.67 Rs.1250 प्लस का प्रतिशत

0.55 प्रतिशत का अंतर

रु. के बीच। 2000 और रु. 1250

0. 33 प्रतिशत से अधिक

रुपये के बीच का अंतर। 2130 &

मूल पेंशन रुपये से अधिक।

2130 .

(2) उन कर्मचारियों के मामले में जो कर्मचारी संवर्ग में हैं और जो

1 नवंबर, 1992 को या उसके बाद सेवानिवृत्त होते हैं; और

कर्मचारी जो अधिकारी संवर्ग में हैं और जो या पर सेवानिवृत्त होते हैं 1 जुलाई, 1993 के बाद, महँगाई राहत देय होगी

प्रत्येक वृद्धि या प्रत्येक गिरावट के लिए वसूली योग्य, जैसा भी मामला हो,

सभी के तिमाही औसत में 1148 अंकों से अधिक प्रत्येक 4 अंक

भारत में औद्योगिक श्रमिकों के लिए औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक श्रृंखला 1960 = 100। महँगाई राहत में ऐसी वृद्धि या कमी

प्रत्येक कथित चार अंकों की गणना दी गई विधि से की जाएगी। नीचे:

बुनियादी पेंशन का पैमाना

महँगाई राहत की दर प्रति

मूल पेंशन का मासिक प्रतिशत

प्रति माह

(2)

(1)

यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया बनाम यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का वेल्फेयर एसो। [उदय उमेश ललित, जे।]

Rs.2400 तक

((i)

0.35 प्रतिशत।

((ख)

Rs.2401 से

0.35 Rs.2400 का प्रतिशत जमा 0.09

मूल पेंशन का प्रतिशत अधिक

Rs.3850

Rs.2400 का।

0.35 Rs.2400 का प्रतिशत जमा 0.09

(iii)

Rs.3851 से

के बीच अंतर का प्रतिशत

Rs.4100

Rs.3850 और Rs.2400 प्लस 0.7 प्रति मूल पेंशन का प्रतिशत से अधिक

Rs.3850।

(iv) ऊपर Rs.4100

0.35 Rs.2400 का प्रतिशत जमा 0.09

के बीच अंतर का प्रतिशत

के बीच अंतर का प्रतिशत Rs.4100 और रु। 3850 प्लस 0.09 प्रति

मूल पेंशन का प्रतिशत से अधिक Rs.4100।

3. 1 अप्रैल, 1998 को या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के मामले में, प्रत्येक वृद्धि या भुगतान के लिए महँगाई राहत देय होगी। 1960 = 100 की श्रृंखला में औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के तिमाही औसत में 1616 अंकों से अधिक प्रत्येक 4 अंकों की प्रत्येक गिरावट के लिए वसूली योग्य। प्रत्येक कथित चार बिंदुओं के लिए महँगाई राहत में ऐसी वृद्धि या कमी की गणना नीचे दिए गए तरीके से की जाएगी:

महँगाई राहत की दर प्रति

बुनियादी पेंशन का पैमाना

मूल पेंशन का मासिक प्रतिशत

प्रति माह

(1)

((i)

रुपये तक। 3380

0.25 प्रतिशत।

((ख)

0.25 Rs.3380 का प्रतिशत जमा 0.01

रु. 3381 को

मूल पेंशन का प्रतिशत अधिक

रु. 5420

Rs.3380 का।

(iii)

0.25 रुपये का प्रतिशत। 3380 जमा 0.01

रु. 5421 को

के बीच अंतर का प्रतिशत

रु. 5770

Rs.5420 और Rs.3380 प्लस 0.12 प्रति

मूल पेंशन का प्रतिशत से अधिक

Rs.5420।

((iv)

0.25 Rs.3380 का प्रतिशत जमा 0.01

ऊपर Rs.5770

के बीच अंतर का प्रतिशत

Rs.5420 और Rs.3380 प्लस 0.12 प्रति

मूल पेंशन का प्रतिशत से अधिक Rs.5770।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

5. 02.06.2005 पर बीच में एक द्विदलीय समझौता किया गया था।

भारतीय बैंकों द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए 50 बैंकों का प्रबंधन

एक ओर संघ और उनके कामगार, जिनका प्रतिनिधित्व सभी द्वारा किया जाता है

बैंक कर्मचारी संघ, नेशनल फेडरेशन ऑफ बैंक

भारतीय बैंक कर्मचारी संघ, भारतीय राष्ट्रीय बैंक ओयीस फेडरेशन और नेशनल एसोसिएशन ऑफ बैंक वर्कर्स

थर। इसे अन्य बातों के साथ पढ़ा गया था:

" (घ) ए. आई. बी. ई. ए., एन. सी. बी. ई., बी. ई. एफ. आई., आई. एन. बी. ई. एफ. और एन. ओ. बी. डब्ल्यू. (इसके बाद)

संयुक्त रूप से संघों को कहा जाता है) ने अपनी मांगों का चार्टर प्रस्तुत किया

श्रमिकों के वेतन और अन्य सेवा शर्तों में संशोधन के लिए आई. बी. ए. और उसी पर बातचीत के लिए अनुरोध किया, एक दृष्टिकोण के साथ

एक सौहार्दपूर्ण समझौते पर पहुंचना।

(ई) इसके साथ ही, आई. बी. ए. ने संघों के साथ भी संबंधित बैंकों के प्रबंधन की ओर से मुद्दों पर चर्चा की।

और संचालन की दक्षता में सुधार करने की दृष्टि से समझौता किया,

सामंजस्यपूर्ण औद्योगिक संबंधों को बनाए रखना। (च) बातचीत के बाद पक्ष शुरू में सहमत हुए कि कुल

हस्ताक्षर किए जाने वाले समझौते से उत्पन्न मजदूरी वृद्धि की मात्रा

इस संबंध में प्रति वर्ष 1,288 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। सेवानिवृत्ति लाभों की लागत और तदनुसार आदान-प्रदान

23 नवंबर 2004 को मुंबई में। यह सहमति है कि इस समझौते के उद्देश्य के लिए, पेंशन की अतिरिक्त लागत

सहमति और पेंशन के अनुपात में पक्षों के बीच साझा किया गया

तदनुसार लागत "। समझौते का पैरा 7 महँगाई भत्ते से संबंधित है जो

निम्नलिखित दरों पर प्रदान किया गया:

" 1. (i) अधीनस्थ कर्मचारी

0.18 % 'भुगतान' का

((ii) लिपिक कर्मचारी

(a) 9,650/- रुपये तक 'वेतन' का 0.18%

(ख) 9,650/- रुपये से अधिक और रुपये तक के 'वेतन' का 0.15%। 15,350 /

प्लस यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया v. यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का वेल्फेयर एसो। [उदय उमेश ललित, जे।]

(ग) रुपये से ऊपर 'वेतन' का 0.09%। 15,350 / - और Rs.16,350/- तक।

(घ) Rs.16,350/- के ऊपर 'भुगतान' का 0.04%।

सेंट

2. 1 फरवरी, 2005 को और उससे, महँगाई भत्ता

भुगतान के 0.18% पर देय होगा। अनुच्छेद 38 के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए प्रावधान किया गया है

निपटान और "महँगाई भत्ता-एकल स्लैब दर (वेतन का 0.18%)" के रूप में, कार्यान्वयन की तारीख 01.02.2005 बताई गई थी।

6. 02.06.2005 पर ही, शीर्षक के साथ एक संयुक्त टिप्पणी, "वेतन संशोधन"

अधिकारियों के लिए-भारतीय बैंकों और अधिकारियों के संघ के बीच चर्चा का निष्कर्ष तैयार किया गया था। इसमें कहा गया है, "अधिकारी संघों के प्रतिनिधि भी इस बात पर सहमत हुए हैं कि मौजूदा सेवा शर्तों को उस हद तक संशोधित किया जाए जो अनुलग्नक I में कहा गया है।" संयुक्त नोट के अनुलग्नक I में अन्य बातों के साथ-साथ महँगाई भत्ते और उक्त अनुलग्नक I के प्रासंगिक पैराग्राफ से संबंधित निम्नलिखित प्रभाव था:

" 2) महँगाई भत्ता

सेंट

सेंट

तिमाही औसत में 2288 अंकों से 4 अंकों की गिरावट अखिल भारतीय औसत कामकाजी वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

(सामान्य) निम्नलिखित दरों पर आधार 1960-100:

(i) 9,650/- रुपये तक 'वेतन' का 0.18%

(ii) 9,650/- रुपये से ऊपर और Rs.15,350/- तक 'वेतन' का 0.15%

प्लस

(iii) रुपये से ऊपर 'वेतन' का 0.09%। 15,350 / - और Rs.16,350/- तक।

(iv) Rs.16,350/- के ऊपर 'पे' का 0.04%।

सेंट

(ख) 1 फरवरी, 2005 को और उससे, महँगाई भत्ता होगा तिमाही में 2288 से अधिक 4 अंकों की प्रत्येक वृद्धि या गिरावट के लिए देय

अखिल भारतीय औसत श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य का औसत

सूचकांक (सामान्य) आधार 1960 = 100 वेतन के 0.18 पर। 7. 02.06.2005 दिनांकित द्विदलीय समझौता इसके लिए चालू था

थ.

01.11.2002 से पाँच साल की अवधि। इसके बाद 9 "द्विदलीय

27.04.2010 पर पार्टियों के बीच समझौता किया गया था और [2018] 5 एस. सी. आर. था।

टी.

01.11.2007 से पाँच साल के लिए चालू। 9 पक्षीय समझौते का खंड 7 (2) निम्नानुसार था:

" (i) 1.05.2005 पर और उससे, उन कर्मचारियों के मामले में जो

1.04.1998 से 31.10.2002 की अवधि के दौरान सेवानिवृत्त, महँगाई राहत प्रत्येक वृद्धि के लिए देय होगा या प्रत्येक गिरावट के लिए वसूली योग्य होगा, जैसे -

मामला हो सकता है, प्रत्येक चार अंकों का 1684 अंकों से अधिक

अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का तिमाही औसत 1960-100 श्रृंखला में औद्योगिक श्रमिकों के लिए। ऐसी वृद्धि या

प्रत्येक उक्त चार अंकों के लिए महँगाई राहत में कमी होगी

गणना नीचे दिए गए तरीके से की गई है:

बुनियादी पेंशन का पैमाना

देय महँगाई राहत की दर

बुनियादी पेंशन के प्रतिशत के रूप में

प्रति माह

(1)

प्रति प्रतिशत

(2)

((i)

Rs.3550। 0.24 प्रतिशत तक।

((ख)

Rs.3551 से

0.24 Rs.3550 का प्रतिशत जमा 0.20 प्रति

मूल पेंशन का प्रतिशत से अधिक

रु. 5650

Rs.3550।

(iii)

0.24 Rs.3550 का प्रतिशत जमा 0.20 प्रति

रु. 5651 को

रु. 6010

के बीच अंतर का प्रतिशत

Rs.5650 और Rs.3550 प्लस 0.12 प्रति

मूल पेंशन का प्रतिशत से अधिक

Rs.5650।

रुपये से अधिक। 6010 0.24 Rs.3550 का प्रतिशत जमा 0.20 प्रति

((iv)

Rs.6010 और रु। 5650 प्लस 0.06 प्रति

मूल पेंशन का प्रतिशत से अधिक

Rs.60 10.

(ii) 01.11.2002 से 30.04.2005 की अवधि के लिए सेवानिवृत्त लोगों के संबंध में जिनके लिए पेंशन को द्विदलीय समझौते के खंड 6 के संदर्भ में वेतन की परिभाषा के आधार पर W. E. F. 01.05.2005 संशोधित किया गया है।

न.

दिनांक 2 जून, 2005 से महँगाई राहत देय होगी।

यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया बनाम यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का वेल्फेयर एसो। [उदय उमेश ललित, जे।]

01.05.2005 औद्योगिक क्षेत्र के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के तिमाही औसत में 2288 अंकों से अधिक प्रत्येक वृद्धि या प्रत्येक गिरावट के लिए हर चार अंकों की वसूली के लिए

मूल पेंशन की श्रृंखला 1960-100 @0.18% में कर्मचारी।

(iii) आई. डी. 1 पर या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के संबंध में, अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता के तिमाही औसत में 2288 अंकों से अधिक प्रत्येक चार अंकों की प्रत्येक वृद्धि या प्रत्येक गिरावट के लिए, जैसा भी मामला हो, महँगाई राहत देय होगी। 1960 = 100 की श्रृंखला में औद्योगिक श्रमिकों के लिए मूल्य सूचकांक, मूल पेंशन के 0.18 प्रतिशत की दर से।

(iv) उन कर्मचारियों के संबंध में जो सेवा में रहते हुए सेवानिवृत्त हुए या उनकी मृत्यु हो गई।

1.05.2005 को या उसके बाद, महँगाई राहत मूल पेंशन या पारिवारिक पेंशन या अमान्य पेंशन या अनुकंपा भत्ता, जैसा भी मामला हो, के 0.18% पर देय होगी। इस श्रृंखला में औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के तिमाही औसत में 2288 अंकों से अधिक 4 अंकों की प्रत्येक वृद्धि या गिरावट के लिए उपरोक्त तरीके से महँगाई राहत का भुगतान किया जाएगा।

1960-100 .

एफ.

ध्यान दें: उपरोक्त के रूप में महँगाई राहत फरवरी के आधे दिन के लिए देय होगी और 31-3 वें वर्ष के अंत के लिए देय होगी जो फरवरी के 1 "दिन से शुरू होगी। जुलाई का दिन पिछले वर्ष के अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीनों के लिए प्रकाशित सूचकांक आंकड़ों के तिमाही औसत पर और अगस्त के 1o दिन से शुरू होने वाले अर्ध वर्ष के लिए

आर एफ.

और तिमाही औसत पर जनवरी के 31 "दिन के साथ समाप्त होता है

अप्रैल, मई और मई के महीनों के लिए

प्रकाशित सूचकांक आंकड़ों में से

उसी वर्ष जून "।

8. इस प्रकार, उन कर्मचारियों के मामले में जो 01.04.1998 से 31.10.2002 की अवधि के दौरान सेवानिवृत्त हुए थे, 0.24% की दर से महँगाई राहत थी

आर

रुपये तक का पुरस्कार। 3550 / - प्रति माह मूल पेंशन और उसके बाद रुपये से अधिक राशि के लिए प्रतिशत। 3550 / - क्रमिक रूप से कम दरों पर था। दूसरी ओर, 01.11.2002 से 30.04.2005 की अवधि के दौरान सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के मामले में 0.18% का प्रतिशत बिना किसी टेपरिंग सूत्र के था। इसके अलावा, मूल रूप से पेंशन विनियमों के हिस्से के रूप में परिशिष्ट II के साथ तुलना से पता चलता है कि सेवानिवृत्त लोगों की तीन श्रेणियों के संबंध में महँगाई राहत की गणना पहले टेपरिंग सूत्र पर की गई थी। दिनांक 27.04.2010 के द्विदलीय समझौते के तहत टेपरिंग सूत्र के विचार को [2018] 5 एस. सी. आर. के संबंध में बरकरार रखा गया था।

आर एफ

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

नवंबर 2002 सेवानिवृत्त जबकि नवंबर के बाद के लिए महँगाई राहत

सेवानिवृत्त व्यक्तियों को 0.18% की सपाट दर पर होना था।

9. इस समय के आसपास, भारतीय रिजर्व बैंक, जो शुरू में था

महँगाई राहत पर मूल्य वृद्धि का पूरा मुआवजा देना

ओयीस जो 01.11.2002 से पहले सेवानिवृत्त हुए थे, यानी वे भी दे रहे थे

एस. ई. एस. एक टेपरिंग सूत्र पर राहत, पूरा मुआवजा देना शुरू कर दिया

किसी भी टेपरिंग सूत्र के बिना जो इसके परिपत्रों से स्पष्ट होगा

देर:

(ए) सर्कुलर दिनांकित 01.04.2008

" टेलीग्राम: " रिजर्व बैंक

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया

भारत

टेलीफ़ोन: 022-2260100

केंद्रीय कार्यालय

मानव संसाधन

फैक्स

: 022-22661892

विकास

022-22702524

विभाग

मुंबई-400 001।

ई-मेल: cgminchrdd@rbi।org. में

1 अप्रैल, 2008

CO.HRDD.No.10139/21.01/2007-08

चैत्र 12,1930 (एस)

क्षेत्रीय निदेशक/प्रधान मुख्य महाप्रबंधक

मुख्य महाप्रबंधक-प्रभारी / मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी) /

प्रधानाचार्य,

भारतीय रिजर्व बैंक,

प्रिय महोदय, पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर महँगाई राहत का भुगतान

1 नवंबर, 2002 से पहले सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के संबंध में

कृपया पैराग्राफ 2 (ii), (iii) में निहित निर्देशों का संदर्भ लें। और (iv) 1 नवंबर, 2002 से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों के संबंध में महँगाई राहत के भुगतान के संबंध में 1 फरवरी, 2008 के परिपत्र CO.HRDD.No.G.97/7704/17.06.05/2007-08 का।

यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया बनाम यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का वेल्फेयर एसो। [उदय उमेश ललित, जे।]

2. यह निर्णय लिया गया है कि 1 मार्च, 2008 से, उपरोक्त निर्देशों के स्थान पर, उन कर्मचारियों के संबंध में महँगाई राहत, जो सेवा से सेवानिवृत्त हुए/जिनकी मृत्यु हो गई थी, उनके लिए लागू की जाएगी। 1 नवंबर, 2002 का भुगतान नीचे दी गई दरों के अनुसार किया जा सकता है।

के आधार पर पेंशन/पारिवारिक पेंशन

के लिए आपदा राहत की दर

1 मार्च, 2008 से जुलाई की अवधि

31 , 2008 .

पेंशन/परिवार के 82.32% से

वेतनमान

प्रभावी

1 नवंबर 1997 (सी. पी. आई. = 1684) पेंशन।

पेंशन/परिवार के 166.95% से प्रभावी

1 नवंबर, 1992 (सीपीआई = 1148) पेंशन 1 नवंबर, 1987 (सीपीआई = 600) पेंशन के 411.38% से प्रभावी भुगतान।

3. ओ के अंत में "नोट" में निहित निर्देश

आपकी ईमानदारी से,

(ए. के. सारंगी)

महाप्रबंधक "

(ख) दिनांकित सिरकुलर 01.08.2008

" रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया

डब्ल्यू. डब्ल्यू. आरबीआइ। org. में

CO.HRDD.No.G 46/1344/17.06.05/2008-2009

अगस्त, 2008

श्रवण 10,1929

(शक)

प्रधान मुख्य महाप्रबंधक /

क्षेत्रीय निदेशक /

मुख्य महाप्रबंधक-प्रभारी /

मुख्य महाप्रबंधक/[2018] 5 एस. सी. आर

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भारतीय रिजर्व बैंक प्रिय महोदय,

महँगाई भत्ता/महँगाई राहत का भुगतान

जून 2008 को समाप्त तिमाही के लिए उपलब्ध औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 1960 = 100) के आधार पर, पहली, तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए अगस्त 2008 से अक्टूबर 2008 की तिमाही के लिए महँगाई भत्ते की दर, जो सी. पी. आई. = 2288 के आधार पर वेतन के पैमाने में वेतन प्राप्त करते हैं, वेतन का 39.78%, 79.56% का आधा है। 2. अगस्त 2008 से जनवरी 2009 की अवधि के लिए पेंशन/पारिवारिक पेंशन/अनुग्रह राशि पर महँगाई राहत की दरें निम्नानुसार निर्धारित की जाएंगी:

(i) 1 नवंबर, 2002 से प्रभावी संशोधित वेतनमान के आधार पर पेंशन पर-मूल पेंशन का 39.78%।

(ii) उन कर्मचारियों के संबंध में महँगाई राहत की दरें जो 1 नवंबर, 2002 से पहले सेवा से सेवानिवृत्त हुए/उनकी मृत्यु हो गई:

पेंशन/पारिवारिक पेंशन

के लिए आपदा राहत की दर

के आधार पर

अगस्त 2008 से जनवरी की अवधि, 2009

पेंशन/परिवार के 89.28% से प्रभावी वेतनमान

1 नवंबर, 1997

पेंशन

(सीपीआई = 1684)

177.10 % पेंशन/परिवार

से प्रभावी वेतनमान

1 नवंबर, 1992

पेंशन

(सीपीआई = 1148)

430.81 % पेंशन/परिवार

से प्रभावी वेतनमान

1 नवंबर, 1987

पेंशन

(सीपीआई = 600)

यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया बनाम यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का वेल्फेयर एसो। [उदय उमेश ललित, जे।]

3. आप महँगाई की गणना करने और भुगतान करने की व्यवस्था कर सकते हैं।

(नीरज निगम)

उप महाप्रबंधक "

10. चूंकि मूल्य के विरुद्ध पूर्ण मुआवजे के अनुदान का लाभ

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई महँगाई राहत में वृद्धि, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के सेवानिवृत्त लोगों को नहीं दी गई थी जो सेवानिवृत्त हो चुके थे

01.11.2002 से पहले, उत्तरदाता संख्या। 1 इनमें से 4 ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में 2012 की रिट याचिका No.507 को प्राथमिकता दी। यह प्रस्तुत किया गया था कि हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक ने 01.11.2002 से पहले 01.04.2008,01.08.2008 और 01.07.2010 के परिपत्रों के माध्यम से सेवानिवृत्त लोगों को महँगाई राहत पर मूल्य वृद्धि के खिलाफ पूरा मुआवजा देना शुरू कर दिया था, लेकिन अपीलकर्ता बैंक ने

पेंशनभोगियों की सेवानिवृत्ति की तारीखों के आधार पर महँगाई राहत के संदर्भ में भेद करना जारी रखा और अपीलार्थी की ओर से इस तरह की कार्रवाई स्पष्ट रूप से दिनांकित समझौते के पैरा 6 के खिलाफ थी।

29.10.1993 . यह प्रस्तुत करते हुए कि अपीलार्थी बैंक द्वारा निर्धारित कट-ऑफ तिथि भारतीय रिजर्व बैंक के सूत्र का उल्लंघन करने के साथ-साथ मनमाना और तर्कहीन थी, प्रत्यर्थी सं। 1 4 ने महँगाई राहत पर मूल्य वृद्धि के खिलाफ पूर्ण मुआवजे का दावा किया। उदाहरण के रूप में प्रत्यर्थी के मामले

Nos.3 से 4 को याचिका के पैरा 30 में इस निवेदन के समर्थन में प्रस्तुत किया गया था कि 01.11.2002 से पहले सेवानिवृत्त लोग पूर्वाग्रह का शिकार हो रहे थे। याचिका के उक्त पैरा 30 को तैयार संदर्भ के लिए यहाँ उद्धृत किया गया है।

" 30. याचिकाकर्ता को हर महीने होने वाला नुकसान संख्या। 3

और 4 आर. बी. आई. के पेंशन पर महँगाई राहत फार्मूले को अस्वीकार करने के लिए इस प्रकार है

निम्नलिखित है:

शांतिप्रिय रॉय

सेवानिवृत्ति की तिथि 30.09.2002

बुनियादी पेंशन Rs.7880 /

स्लैब आधार पर प्रति स्लैब महँगाई राहत

रु. 8,520 /

रु. 3550 / - x 0.24%

रु. 4,200 /

अगले रु. 2100 / - x 0.20% [2018] 5 S.

अगले रु. 360 / - x 0.12%

रु. 432 /

अगले रु. 1870 / - x 0.06%

रु. 1,122 /

रु. 7880 /

रु. 14,274 /

मूल्य वृद्धि के खिलाफ पूर्ण मुआवजे के लिए महँगाई राहत

रु. 18,912 /

रु. 7880 / - x 0.24%

अंतर प्रति स्लैब रु। 18,912 / - (-) रु. 14,274 / - = रु. 4,638 / स्लैब आधार पर कुल डी. आर.

रु. 14,274 / - x 708 स्लैब Rs.10,105।

100% पर कुल डी. आर.

रु. 18,912 / - x 708 स्लैब Rs.13,389।

रु. 3,283.7

अंतर =

कल्पतरु भट्टचाजी

सेवानिवृत्ति की तिथि 31.10.2002

रु. 5431 /

बुनियादी पेंशन स्लैब आधार पर प्रति स्लैब महँगाई राहत

रु.

8,520 /

रु. 3550 / - x 0.24%

अगले रु. 1881 / - x 0.20%

रु.

3,762 /

रु.

12,282

रु. 5431 /

मूल्य वृद्धि के खिलाफ पूर्ण मुआवजे के लिए प्रति स्लैब महँगाई राहत।

रु. 5431 / - x 0.24%

Rs.13,034 /

प्रति स्लैब अंतर

रु. 13,034 / - (-) Rs.12,282/- = रु। 752 /

स्लैब आधार पर कुल डी. आर.

रु. 12,282 / - x 708 स्लैब

रु.

8,695 .

रु. 13,034 / - x 708 स्लैब

100% पर कुल डी. आर.

रु.

9,228 .

रु.

532.4 :

अंतर यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया बनाम। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का वेल्फेयर एसो। [उदय उमेश ललित, जे।]

13. एकल न्यायाधीश द्वारा अपीलार्थी बैंक को नया निर्णय लेने का निर्देश देने वाले निर्णय और आदेश पर प्रतिवादी ने 2015 का ए. पी. ओ. No.315 दाखिल करके सवाल उठाया था, जबकि अपीलार्थी बैंक ने जहाँ तक एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए निष्कर्षों और जारी किए गए निर्देशों का संबंध है, 2015 का ए. पी. ओ. No.316 दाखिल करके निर्णय पर सवाल उठाया गया।

चिंतित हैं। इन दोनों अपीलों का निपटारा डिवीजन बेंच द्वारा 26.09.2016 पर किया गया था। डिवीजन बेंच ने डी. एस. नकारा (ऊपर) और कल्लक्कुरिची तालुक सेवानिवृत्त अधिकारी संघ तमिलनाडु और अन्य बनाम में इस अदालत के फैसले पर भरोसा किया। तमिलनाडु राज्य 2 और निम्नानुसार देखा गया:

" संयुक्त नोट का प्रभाव यह है कि कट-ऑफ तिथि से पहले सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को उस तारीख के बाद सेवानिवृत्त होने वालों की तुलना में कम दर पर महँगाई राहत मिलेगी। भुगतान की गई महँगाई राहत जीवन यापन की लागत सूचकांक से संबंधित है और उसी के प्रत्यक्ष अनुपात में भिन्न होती है। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि महँगाई राहत सेवानिवृत्त लोगों को खगोलीय वृद्धि को बेअसर करने के लिए भुगतान की जाने वाली राशि है। कीमतें। महँगाई राहत देने का उद्देश्य एक ही है,

(1983) 1 एससीसी 305

2 (2013) 2 एस. सी. सी. 772 [2018] 5 एस. सी. आर.

इसने आगे निम्नानुसार अवलोकन किया: " इस बात में कोई विवाद नहीं है कि बैंक पेंशन विनियम, 1995 में संशोधन नहीं किया गया है। इन विनियमों को बैंकिंग कंपनी अधिनियम के तहत बैंक को दी गई शक्तियों के अनुरूप बनाया गया है। उनके पास कानून की एक वैधानिक शक्ति है। पेंशन विनियमों के खंड 6 में कहा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने कर्मचारियों को दिए गए भुगतान के अनुरूप सदस्य बैंकों के कर्मचारियों को महँगाई राहत का भुगतान किया जाएगा। इसलिए एक संयुक्त नोट का अधिकार नहीं लिया जा सकता है

कर्मचारियों को उस महँगी राहत के लिए "।

नवंबर 2002 से पहले के सेवानिवृत्त और नवंबर 2002 के बाद के सेवानिवृत्त लोगों के बीच अंतर को अनुचित, मनमाना और

विभाजनकारी खंड पीठ ने अपीलार्थी को सभी पेंशनभोगियों को समान दर पर महँगाई राहत का भुगतान करने का निर्देश दिया। यह निर्देश निम्नलिखित शर्तों में जारी किया गया था:

" इसलिए, हम बैंक को पेंशन विनियमों के विनियम 6 का पालन करने और 2002 से पहले के सेवानिवृत्त लोगों को उसी दर से पेंशन का भुगतान करने का निर्देश देते हैं, जो 2002 के बाद के सेवानिवृत्त लोगों को मिलता है, जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दिया गया है। द.

विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय को उस हद तक संशोधित किया जाता है।

14. अपीलार्थी ने 2016 के आर. वी. डब्ल्यू. ओ. Nos.57 और 58 समीक्षा आवेदनों को प्राथमिकता देते हुए कहा कि 26.09.2016 दिनांकित निर्णय के लिए कुछ टंकण संबंधी परिवर्तनों की आवश्यकता है। उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने अपने दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से उसमें बताए गए परिवर्तनों को लागू किया और समीक्षा आवेदनों का निपटारा किया।

15. अपीलकर्ता बैंक ने पीड़ित होने के कारण, डिवीजन बेंच द्वारा दिए गए दिनांकित 26.09.2016 और 05.12.2016 निर्णयों को चुनौती दी।

07.02.2017 पर या उसके आसपास विशेष अवकाश द्वारा इन अपीलों को दायर करना। इसके द्वारा इस समय, 2013 की रिट अपील Nos.355 में मद्रास उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा दिए गए निर्णय और 17.06.2013 पर संबद्ध मामलों को इस न्यायालय द्वारा 01.02.2017 पर उत्पन्न अपीलों को खारिज करके पुष्टि की गई थी।

यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया बनाम यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का वेल्फेयर एसो। [उदय उमेश ललित, जे।]

16. इस स्तर पर यह ध्यान दिया जा सकता है कि 2006 की रिट याचिका Nos.50000 50002 और ए. बी. कस्तूरीरंगन बनाम के रूप में शीर्षक वाली संबद्ध रिट याचिकाएं। केनरा बैंक आदि को मद्रास उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा 14.12.2012 दिनांकित निर्णय और आदेश द्वारा अनुमति दी गई थी। चुनौती वर्तमान मामलों में उठाई गई चुनौती की तर्ज पर 01.11.2002 से पहले सेवानिवृत्त लोगों को महँगाई राहत के निष्क्रियकरण का लाभ न देने की थी। एकल न्यायाधीश द्वारा यह मत व्यक्त किया गया कि आई. डी. 1 दिनांकित द्विदलीय समझौते ने मूल पेंशन की आई. डी. 2 की स्लैब दर पर महँगाई राहत की शुरुआत की; कि स्लैब दर की घटती दर से परिवर्तन एक नई योजना की शुरुआत नहीं थी, बल्कि मौजूदा योजना का एक संशोधन था। उन्होंने आगे कहा कि बैंक द्वारा शुरू किया गया वर्गीकरण कृत्रिम और मनमाना था और किसी भी तर्कसंगत सिद्धांत पर आधारित नहीं था और बैंक ने वस्तुतः एक वर्ग के भीतर वर्ग का निर्माण किया था। यह मामला अपील में उठाया गया था। अपीलों को स्वीकार करते हुए और एकल न्यायाधीश के निर्णय को दरकिनार करते हुए, खंड पीठ ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

" ..... निपटान को एक पैकेज सौदे के रूप में लिया जाना चाहिए और जब मजदूरी के मामले में श्रम को लाभ हुआ है और जहां तक पुरस्कार का संबंध है, यदि महँगाई भत्ते के मामले में कुछ कमी हुई है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि समग्र रूप से समझौता अनुचित और अन्यायपूर्ण है और निपटान को टुकड़ों-टुकड़ों में स्कैन करना और कुछ हिस्सों को अच्छा और स्वीकार्य रखना संभव नहीं है और अन्य खराब हैं। यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि जब तक यह प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है कि आपत्तिजनक भाग ऐसा है जो पूरी तरह से प्राप्त अन्य सभी लाभों से अधिक है, तब तक न्यायालय किसी समझौते को अनुचित और अन्यायपूर्ण ठहराने में देरी करेगा और समझौते को समग्र रूप से स्वीकार या अस्वीकार करना होगा।

.....

हाथ में मामले में, उत्तरदाता 8वें द्विदलीय निपटान/संयुक्त नोट द्वारा कवर नहीं किए गए हैं और वे निम्नलिखित द्वारा कवर किए गए थे

पहले के द्विदलीय निपटान/संयुक्त नोट और वे उन व्यक्तियों को देय लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं हैं जो 8वें द्विदलीय निपटान/संयुक्त नोट द्वारा कवर किए गए हैं क्योंकि उन्हें लागू किया गया था

केवल उन कर्मचारियों के लिए जो 01.11.2002 पर सेवा में थे। पेंशन और अन्य संबंधित लाभों का भुगतान पहले के निपटान/संयुक्त नोट द्वारा कवर किया जाता है और इसलिए, उत्तरदाताओं के लिए यह तर्क देना खुला नहीं है कि उन्हें 0.18% पर महँगाई भत्ते के रूप में लाभ दिए जाने हैं। विचार किए गए [2018] 5 एस. सी. आर. में

इस न्यायालय की राय के अनुसार, प्रत्यर्थियों को 8वें द्विदलीय समझौते/संयुक्त नोट के तहत शामिल नहीं किया गया है और इसलिए, उपरोक्त उद्धृत

फैसले का मामले में कोई अनुप्रयोग नहीं है।"

इस दृष्टिकोण को 2013 की सिविल अपील Nos.8420-8421 में चुनौती दी गई थी और इस न्यायालय द्वारा 01.02.2017 पर इसकी पुष्टि की गई थी।

इस न्यायालय द्वारा 01.02.2017 पर अपील को खारिज करते हुए पुष्टि की गई कि 01.11.2002 से पहले के सेवानिवृत्त लोग 01.11.2002 के बाद सेवानिवृत्त होने वालों के समान लाभ/समानता का दावा नहीं कर सकते थे; कि पेंशनभोगियों को देय महँगाई भत्ता वेतन से जुड़ा था और पूर्व 01.11.2002 सेवानिवृत्त लोगों को सेवानिवृत्ति के समय उन पर लागू सेवा शर्तों के अनुसार पेंशन या महँगाई राहत का भुगतान किया जा रहा था; कि डी. एस. में इस न्यायालय का निर्णय। नकारा (उपर्युक्त) वर्तमान मामले में लागू नहीं होगा और यह कि उच्च न्यायालय दिनांकित समझौते के पैरा 6 पर भरोसा करने में गलती कर रहा था जैसा कि कहा गया था उन्होंने खुद काम किया था। जवाब में अपने हलफनामे में सेवानिवृत्त संघ ने अन्य बातों के साथ-साथ प्रस्तुत किया कि दिनांक 02.06.2005 के द्विदलीय समझौते में, 100% महँगाई भत्ते को पहली बार महँगाई भत्ते के भुगतान की दर को कम करके निष्क्रिय किया गया था और 01.02.2005 के बाद के महँगाई भत्ते का भुगतान 0.18% की एकल स्लैब दर पर किया जाना था। हालाँकि, बाद के द्विदलीय समझौते दिनांक 27.04.2010 द्वारा पूर्व और पोस्ट 01.11.20002 सेवानिवृत्त लोगों के बीच एक अंतर किया गया था। प्रत्यर्थियों ने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण किसी भी हस्तक्षेप का आह्वान नहीं करता है।

18. इस अपील में, हमने श्री ध्रुव मेहता को सुना, जो अपीलार्थी के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील थे- बैंक जबकि प्रतिवादी अर्थात् सेवानिवृत्त वेलफेयर एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व विद्वान वरिष्ठ वकील श्री वी. के. बाली ने किया। श्री ए. एस. नाम्बियार और सुश्री वी. मोहना, विद्वान वरिष्ठ वकील क्रमशः आई. ए. 51316 और 50769 में हस्तक्षेप करने वालों के लिए उपस्थित हुए।

19. वर्तमान मामलों में विवाद से निपटने से पहले,

इस न्यायालय द्वारा निर्धारित किए गए मुद्दे पर कानून को निम्नलिखित के लिए जोड़ा जा सकता है:

ए] डी. एस. नाका और अन्य (उपरोक्त) में जो प्रमुख प्रश्न उठा था, वह था, "क्या सेवानिवृत्ति की तारीख पात्रता के लिए एक प्रासंगिक विचार है जब पेंशन की गणना के लिए एक संशोधित सूत्र की शुरुआत की जाती है और एक निर्दिष्ट तिथि से प्रभावी किया गया। जाँच गैर तक सीमित थी

3 डी. एस. नकारा यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का पैरा 2 बनाम. यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का वेल्फेयर एसो। [उदय उमेश ललित, जे।]

सरकार द्वारा अपने पूर्व कर्मचारी को और उसके अंतर्निहित उद्देश्य और उद्देश्य के लिए भुगतान की जाने वाली अंशदायी सेवानिवृत्ति या सेवानिवृत्ति पेंशन। 4 उस मामले में पेंशन की गणना के लिए फॉर्मूला को कार्यालय ज्ञापन दिनांक 25.05.1979 के माध्यम से उदार बनाया गया था, लेकिन लाभ उन सरकारी कर्मचारियों तक ही सीमित था जो 31.03.1979 पर सेवा में थे और सेवानिवृत्त हुए थे। उस तारीख को या उसके बाद। चुनौती संशोधन के उद्देश्य से असंबंधित पात्रता मानदंड तय करके एक समरूप वर्ग के मनमाने विभाजन की थी। उस संदर्भ में पैरा 42 में इस न्यायालय की टिप्पणियां प्रासंगिक हैं। पैरा 42 इस प्रकार है:

बाद में सेवानिवृत्त होने वालों की तुलना में बदतर स्थिति। इसलिए, यह विभाजन जो पेंशनभोगियों को दो वर्गों में वर्गीकृत करता है, किसी भी तर्कसंगत सिद्धांत पर आधारित नहीं है और यदि तर्कसंगत सिद्धांत पेंशनभोगियों को विभाजित करने का है, अन्यथा समान रूप से रखे गए व्यक्तियों को कुछ और देने की दृष्टि से, तो यह भेदभावपूर्ण होगा। उदाहरण के लिए, दो व्यक्तियों को लें, एक केवल एक दिन पहले सेवानिवृत्त हुआ और दूसरा एक दिन निर्दिष्ट तिथि के ठीक बाद। दोनों एक ही वेतन वर्ग में थे, औसत परिलब्धि समान थी और दोनों ने समान संख्या में वर्षों की सेवा की थी। एक दिन पहले या एक दिन बाद सेवानिवृत्त होने की आकस्मिक परिस्थिति पेंशन के मामले में पूरी तरह से असमान व्यवहार की अनुमति कैसे देगी? एक दिन पहले सेवानिवृत्त होने वाले को 36 महीने के वेतन पर औसत परिलब्धि और प्रति माह Rs.8100 की अधिकतम सीमा के अधीन होना होगा जबकि दूसरे की अधिकतम सीमा होगी।

4 डी. एस. नकारा [2018] 5 एस. सी. आर. का पैरा 21।

यदि कोई है, तो पेंशन योजना के उदारीकरण द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों के साथ इसका कोई संबंध नहीं है। वास्तव में इस मनमाने विभाजन का न केवल उदारीकृत पेंशन योजना से कोई संबंध है, बल्कि यह उल्टा है और पेंशन योजना के सभी पहलुओं के विपरीत है। अनुच्छेद 14 में गारंटीकृत समान व्यवहार का पूरी तरह से उल्लंघन किया गया है क्योंकि पेंशन नियम चरित्र में वैधानिक होने के कारण, निर्दिष्ट तिथि से, नियम पेंशन के हस्तांतरण के मामले में समान के लिए अंतर और भेदभावपूर्ण व्यवहार प्रदान करते हैं। सेवानिवृत्ति के मामले में 48 घंटे के अंतर का एक दर्दनाक प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार विभाजन मनमाना और सिद्धांतहीन। इसलिए, वर्गीकरण परीक्षा में खड़ा नहीं होता है।

अनुच्छेद 14।" बी] डी. एस. नकारा (सुप्रा) में निर्धारित सिद्धांत की व्याख्या की गई थी

o इस न्यायालय की संविधान पीठों द्वारा दिए गए निर्णय

एना कुमार बनाम। भारत संघ और अन्य और भारतीय पूर्व में

आइस लीग और अन्य बनाम। भारत संघ और अन्य "।इंडियन एक्स-सर्विसेज यूई (सुप्रा) में बाद के निर्णय के ग्राफ 12 और 14 इस प्रकार थे:

" 12. उदारीकृत पेंशन योजना जिसके संदर्भ में निर्णय नकारा में दिया गया था, की गणना के लिए प्रदान की गई थी

पेंशन एक अधिक उदार सूत्र के अनुसार जिसके तहत पिछले दस के संदर्भ में "औसत परिलब्धि" निर्धारित की गई थी।

पहले प्रदान किए गए 36 महीने के वेतन के बजाय महीनों का वेतन उच्च औसत देता है, एक स्लैब प्रणाली के साथ और सीमा को बढ़ाता है।

पेंशन की सीमा। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जहाँ का तरीका

पेंशन की गणना को एक निर्दिष्ट तिथि से उदार बनाया जाता है, इसका लाभ न केवल उस तिथि के बाद के सेवानिवृत्त लोगों को दिया जाना चाहिए, बल्कि पहले के मौजूदा सेवानिवृत्त लोगों को भी उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख के बावजूद दिया जाना चाहिए, भले ही पहले के सेवानिवृत्त लोग उदारीकृत सूत्र के अनुसार की गई संशोधित गणना के आधार पर निर्दिष्ट तिथि से पहले किसी भी बकाया राशि के हकदार नहीं होंगे। इसके लिए

ऐसी योजना का उद्देश्य सभी मौजूदा सेवानिवृत्त लोगों को उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख की परवाह किए बिना, एक वर्ग का गठन करने के लिए आयोजित किया गया था,

0) 4 एससीसी 207

1) 2 एस. सी. सी. 104 यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया बनाम यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया एट्रीज वेल्फेयर एसो। [उदय उमेश ललित, जे।]

प्रत्येक सेवानिवृत्त व्यक्ति का परिलब्धि जो उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख को देय हो। इस उद्देश्य के लिए पहले के परिलब्धियों में कोई संशोधन नहीं किया गया था। योजना के तहत सेवानिवृत्त। यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि यदि पेंशनभोगी एक वर्ग का गठन करते हैं, तो उनकी गणना केवल इस आधार पर असमान व्यवहार प्रदान करने वाले अलग-अलग सूत्र से नहीं की जा सकती है कि कुछ पहले सेवानिवृत्त हुए और कुछ बाद में सेवानिवृत्त हुए। यह हमारे अनुसार है

नकारा में निर्णय और अधिक नहीं।

14. नकारा का निर्णय हाल ही में कृष्ण कुमार बनाम मामले में एक अन्य संविधान पीठ के समक्ष विचार के लिए आया। भारत संघ। उस मामले में याचिकाकर्ता सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी थे जिन्हें रेलवे अंशदाता द्वारा कवर किया गया था या चुना गया था।

भविष्य निधि योजना। यह माना गया था कि पी. एफ. सेवानिवृत्त और पेंशन सेवानिवृत्त अलग-अलग वर्गों का गठन करते हैं और यह कभी भी आयोजित नहीं किया गया था।

नाका कि पेंशन सेवानिवृत्त और पी. एफ. सेवानिवृत्त लोगों ने एक गठन किया

सजातीय वर्ग, भले ही अकेले सेवानिवृत पेंशनभोगियों ने किया

एक सजातीय वर्ग का गठन करता है जिसके भीतर आगे कोई

सीमित आवेदन और पेंशन सेवानिवृत्त लोगों द्वारा किए गए सभी दावों को कवर करने के लिए उस निर्णय के दायरे को बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं है या सेवानिवृत्ति की तारीख की परवाह किए बिना एक ही रैंक से प्रत्येक सेवानिवृत्त व्यक्ति को पेंशन की समान राशि की मांग है, भले ही गणना के उद्देश्य के लिए गणना योग्य परिलब्धियां उनकी पेंशन अलग होगी।

C] भारत संघ में v. पी. एन. मेनन एंड अदर्स चैलेंज कट ऑफ डेट और सेवानिवृत्ति के उद्देश्य के लिए वेतन के रूप में महँगाई भत्ते पर समान राहत के विस्तार के लिए प्रार्थनायह विषय था। अपील स्वीकार करते हुए और अस्वीकार करते हुए

संबंधित सेवानिवृत्त लोगों द्वारा उठाया गया अपमान, इस न्यायालय ने पैराग्राफ में

घ 11 निम्नलिखित रूप में देखा गया:

" 10. 'महँगाई वेतन' की अवधारणा महँगाई वेतन के विभिन्न प्रतिशत के साथ विभिन्न वेतन श्रेणियों में कर्मचारियों के संबंध में विकसित की गई थी। इसके बाद पेंशन और ग्रेच्युटी पर काम किया गया और उन व्यक्तियों को, जो आईडी1 पर या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए, लेकिन आईडी2 के बाद सेवानिवृत्त नहीं हुए, दो विकल्पों में से किसी एक को चुनने का विकल्प दिया गया-(i) अपनी पेंशन और मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की गणना उनके वेतन पर की जाए, जिसमें उक्त कार्यालय ज्ञापन के पैराग्राफ 2 में बताए गए महँगाई वेतन के तत्व को शामिल नहीं किया गया हो; या (ii) महँगाई वेतन के तत्व को ध्यान में रखते हुए उनकी पेंशन और मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की पुनः गणना की जाए। यदि उत्तरदाताओं का यह रुख स्वीकार किया जाना है कि इस योजना को उन सभी के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए था, जिसमें वे लोग भी शामिल हैं जो योजना शुरू होने से 20 से 25 साल पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं, तो हमारे अनुसार, पूरी योजना अव्यवहारिक होगी, क्योंकि यह महँगाई भत्ते के भुगतान से जुड़ी है, जो मूल्य सूचकांक के स्तर पर आधारित है। विभिन्न संस्थान /

विभागों ने आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के साथ अपने कर्मचारियों की कठिनाई को कम करने के लिए विभिन्न चरणों में महँगाई भत्ते के भुगतान की प्रणाली शुरू की है।

11. भारत संघ की ओर से, यह कहा गया है कि उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन दिनांक 25-5-1979 में, 30-9-1977 था 272 पर रहने की औसत लागत सूचकांक के संदर्भ में कट-ऑफ तिथि के रूप में तय की गई, जो 30-9-1977 पर गिर गई। यह भी कहा गया है कि जो लोग उक्त कार्यालय ज्ञापन के लाभों के हकदार थे, उन्हें संशोधित सूत्र का विकल्प चुनने या मौजूदा सूत्र को बनाए रखने का विकल्प दिया गया था। नए फार्मूले के हकदार कुछ व्यक्तियों ने अपनी मौजूदा स्थिति को बनाए रखने का विकल्प चुना, क्योंकि उनके मामले में नए फार्मूले के लागू होने से या तो कुल पेंशन में कमी आई होगी या वृद्धि हुई होगी जो केवल मामूली होगी। यह कहा गया है कि उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन के तहत, 272 के औसत मूल्य सूचकांक स्तर के संदर्भ में महँगाई भत्ते को उन लोगों के लिए पेंशन के उद्देश्य से महँगाई वेतन के रूप में माना जाता था जो 30-9-1977 के बाद सेवानिवृत्त हुए थे।

यह भी बताया गया है कि पेंशनभोगी, जो या यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया से सेवानिवृत्त हुए हैं v.

यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का वेल्फेयर एसो। [उदय उमेश ललित, जे।]

उन लोगों की तुलना में, जो 30-9-1977 से पहले सेवानिवृत्त हुए थे या 30-9-1977 के बाद सेवानिवृत्त हुए थे, लेकिन जिन्होंने महँगाई वेतन के लाभ के साथ 30-9-1977 के बाद कम महँगाई राहत पाने का विकल्प नहीं चुना था। विवादित कार्यालय ज्ञापन का लाभ "।

डी]। पंजाब राज्य में v. न्यायमूर्ति एस. एस. दीवान (सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश) और अन्य ने एक संशोधन के माध्यम से, एक न्यायिक अधिकारी द्वारा न्यायिक सेवा में शामिल होने से पहले एक वकील के रूप में रखे गए वर्षों को पेंशन के उद्देश्य से सेवा की अवधि की गणना के लिए जोड़ा जाना था। सवाल यह था कि क्या राज्य इस राहत को उन लोगों तक सीमित रखने में उचित था जो 22.02.1990 के बाद सेवानिवृत्त हुए थे। डी. एस. नकारा (सुप्रा) में निर्णय के अनुपात को इस आधार पर अलग किया गया था कि प्रदान किया गया लाभ एक नया लाभ था न कि मौजूदा पेंशन योजना का ऊपर की ओर संशोधन। इस न्यायालय ने पाया कि यह मौजूदा योजना के उदारीकरण का मामला नहीं था, बल्कि एक नए सेवानिवृत्ति लाभ की शुरुआत का मामला था और इस तरह राज्य ने सेवानिवृत्त लोगों के समूहों के बीच अंतर करना और कटौती की तारीख के बाद सेवानिवृत्त होने वालों के लिए लाभ को सीमित करना उचित था। पैराग्राफ 6 और 7 में उद्धृत टिप्पणियां प्रासंगिक हैं:

" 6. संशोधन द्वारा लाया गया परिवर्तन यह है कि मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति के संबंध में पंजाब के सदस्यों को लाभ

उच्च न्यायिक सेवा पहले अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) नियमों द्वारा शासित होती थी, अब वे पंजाब सिविल सेवा नियमों द्वारा शासित हैं। इसके अलावा, अब पंजाब सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस में सीधी भर्ती के मामले में योग्यता सेवा निर्धारित करने के उद्देश्य से बार में प्रैक्टिस की वास्तविक अवधि 10 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। पहले, यानी आई. डी. 1 से पहले, पंजाब सुपीरियर न्यायिक सेवा के सदस्य की योग्यता सेवा उनके द्वारा पंजाब सुपीरियर न्यायिक सेवा के सदस्य के रूप में और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में प्रदान की गई सेवा की अवधि थी, यदि उन्हें सेवानिवृत्ति से पहले उस पद पर पदोन्नत किया गया था। यहां तक कि उस सेवा में सीधी भर्ती के मामले में भी बार में उनकी स्थिति अप्रासंगिक थी, लेकिन अब योग्यता सेवा निर्धारित करने के लिए उस अवधि को जोड़ना होगा। जाहिर है, योग्यता सेवा की अवधि के इस विस्तार से पेंशन की मात्रा में वृद्धि होगी। यह उच्च न्यायालय द्वारा माना गया है और

8 (1997) 4 एससीसी 569 [2018] 5 एस. सी. आर.

प्रतिवादी द्वारा प्रतिवाद, पेंशन योजना का उदारीकरण। इस कारण से, इसने आगे कहा कि पेंशन को उदार बनाने वाले नियम का लाभ बाद में सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं हो सकता है, अन्यथा यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने वाले द्वेषपूर्ण भेदभाव के बराबर होगा। उच्च न्यायालय ने यह भी माना है कि नियम की भाषा में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह सुझाव दे कि उसके द्वारा प्रदान किया गया लाभ केवल इन तक ही सीमित है - 22-2-1990 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्ति।

7. इसलिए, हमें इस बात पर विचार करना होगा कि संशोधन द्वारा किए गए परिवर्तन की प्रकृति क्या है। क्या यह मौजूदा पेंशन योजना के ऊपर की ओर संशोधन के माध्यम से है? तब स्पष्ट रूप से डी. एस. नकारा मामले में निर्णय का अनुपात लागू होगा। यदि इसे एक नया सेवानिवृत्ति लाभ या एक नई योजना माना जाता है तो इसका लाभ

इसे उन लोगों तक विस्तारित नहीं किया जा सकता जो पहले सेवानिवृत्त हुए थे।

ई] कर्नल बी. जे. अक्कारा (सेवानिवृत्त) बनाम। भारत सरकार और अनुच्छेद 9 ऐसे मामलों में विचार किए जाने वाले सिद्धांतों को बाहर निकाला गया था।

आरए 20 निम्नानुसार:

" 20. इस मुद्दे से संबंधित पेंशन से संबंधित सिद्धांत हैं:

अच्छी तरह से व्यवस्थित। वे इस प्रकार हैं:

(क) एक वर्ग बनाने वाले पेंशनभोगियों के संबंध में, पेंशन की गणना

अलग-अलग सूत्र से नहीं हो सकता है जिससे एक असमान लागू होता है

केवल इस आधार पर उपचार किया जाए कि कुछ पहले सेवानिवृत्त हुए और कुछ बाद में सेवानिवृत्त हुए। यदि सेवानिवृत्त व्यक्ति अपने कार्यकाल के समय पेंशन के लिए पात्र है।

संशोधित, वह तारीख से पेंशन की गणना के नए सूत्र के अनुसार बढ़ी हुई पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्र हो जाएगा जब संशोधन प्रभावी होता है। ऐसी स्थिति में, उसी वर्ग के पेंशनभोगियों को उपलब्ध कराए गए संशोधन के तहत अतिरिक्त लाभ से उसे इस आधार पर इनकार नहीं किया जा सकता है कि वह उस तारीख से पहले सेवानिवृत्त हो गया था जिस पर उपरोक्त अतिरिक्त लाभ दिया गया था।

सम्मानित किया गया।

(ख) लेकिन एक विशेष रैंक के साथ सेवानिवृत्त होने वाले सभी सेवानिवृत्त सभी उद्देश्यों के लिए एक ही वर्ग नहीं बनाते हैं। जहाँ सेवानिवृत्ति की तारीख को गणना योग्य परिलब्धियाँ (की गणना के उद्देश्य से)

पेंशन) पेंशनभोगियों के दो समूहों के संबंध में अलग-अलग हैं, जो एक ही पद से सेवानिवृत्त होते हैं, समूह को कम पेंशन मिलती है।

6) 11 एस. सी. सी. 709 यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया बनाम यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया एट्रीज वेल्फेयर एसो। [उदय उमेश ललित, जे।]

यह तर्क नहीं दिया जा सकता है कि उनकी पेंशन उस समूह द्वारा प्राप्त पेंशन के समान या उसके बराबर होनी चाहिए जिसकी गणना योग्य परिलब्धि अधिक थी। दूसरे शब्दों में, समान रैंक के साथ सेवानिवृत्त होने वाले पेंशनभोगियों को समान पेंशन देने की आवश्यकता नहीं है, जहां उनकी सेवानिवृत्ति के समय उनकी औसत गणना योग्य परिलब्धियां थीं।

भिन्न, वेतन में अंतर को देखते हुए, या भिन्न को देखते हुए

(i) जब एक समूह सेवानिवृत्त होता था, तो कोई पेंशन योजना नहीं होती थी और जब दूसरा समूह सेवानिवृत्त होता था, तो एक पेंशन योजना लागू होती थी। ((ii) जब एक समूह सेवानिवृत्त होता है, तो एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लागू होती है और जब दूसरा समूह सेवानिवृत्त होता है, तो ऐसी योजना लागू नहीं होती है; या

(iii) जब एक समूह सेवानिवृत्त होता था, तो एक पी. एफ. योजना लागू होती थी और जब दूसरा समूह सेवानिवृत्त होता था, तो एक पेंशन योजना लागू होती थी।

एक समूह इस आधार पर दूसरे समूह को दिए गए लाभ का दावा नहीं कर सकता कि वे समान रूप से स्थित हैं। हालाँकि वे एक ही पद से सेवानिवृत्त हुए, लेकिन वे "एक ही वर्ग" या "सजातीय समूह" के नहीं हैं। नियोक्ता किसी भी नई पेंशन/सेवानिवृत्ति योजना को शुरू करने या किसी भी पेंशन योजना को बंद करने के लिए वैध रूप से एक कट-ऑफ तिथि तय कर सकता है। मौजूदा योजना। भेदभावपूर्ण बात यह है कि पूर्वव्यापी रूप से (या संभावित रूप से) एक कटौती की तारीख मनमाने ढंग से तय की जाती है जिससे पेंशनभोगियों के एक ही सजातीय वर्ग को दो समूहों में विभाजित किया जाता है और उनके साथ अलग-अलग व्यवहार किया जाता है।

एफ] कल्लक्कुरिची तालुक में सेवानिवृत्त अधिकारी संघ, तमिल

और अन्य वी। तमिलनाडु राज्य "सरकार का प्रभाव

पेंशन के संबंध में यह था कि कर्मचारी उस दिन या उसके बाद सेवानिवृत्त हो रहे थे

5.1988 ई 01.06.1988 सेवानिवृत्त होने वालों की तुलना में नुकसान में थे। उक्त निर्णय के पैराग्राफ 38 और 39 उद्धृत किए गए हैं।

इसके अलावा:

" 38. तत्काल विवाद को किसी कर्मचारी की कुल कैरी-होम पेंशन के निर्धारण के रूप में गलत नहीं समझा जाना चाहिए।

ऊपर उल्लिखित सभी सरकारी आदेश "महँगाई भत्ते" की मात्रा से संबंधित हैं जिसे "महँगाई वेतन" के रूप में माना जाएगा।

पेंशन की गणना "। महँगाई वेतन "कई में से एक है।

घटक, जो पेंशन के अंतिम निर्धारण में जाते हैं। इसलिए, वर्तमान विवाद के निर्णय में ध्यान केंद्रित किया गया है

अंतिम कैरी होम पेंशन के बजाय "महँगाई वेतन" पर होना चाहिए। "महँगाई भत्ता" को "महँगाई भत्ता" मानने की प्रासंगिकता और उद्देश्य को पूर्वगामी अनुच्छेदों में सामने लाया गया है। इसलिए, स्पष्ट रूप से, उद्देश्य को प्राप्त करने की मांग की गई एक सेवानिवृत्त व्यक्ति के वेतन में "महँगाई वेतन" जोड़कर, जबकि

उसे देय पेंशन का निर्धारण, मुद्रास्फीति के प्रतिकूल प्रभावों को दूर करने के लिए है। उपरोक्त वस्तु अनिवार्य रूप से होनी चाहिए वर्तमान विवाद की जांच करते समय ध्यान में रखा गया। किसी भी

जिस उद्देश्य को प्राप्त करने की मांग की गई है, उसके संदर्भ के बिना वर्गीकरण मनमाना होगा और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत दिए गए संरक्षण का उल्लंघन होगा।

अनुच्छेद के तहत दिए गए संरक्षण का भेदभावपूर्ण और उल्लंघनकारी

16 भारत का संविधान।

39. विवाद पर विचारपूर्वक विचार करने के बाद

हाथ में, हमारे लिए राज्य सरकार के लिए एक वैध औचित्य खोजना संभव नहीं है कि इसमें अपीलार्थियों (जो 1-6-1988 के बाद सेवानिवृत्त हुए थे) के समान वर्गीकृत पेंशनभोगियों को उन लोगों से वर्गीकृत किया जाए जो इससे पहले सेवानिवृत्त हुए थे। मुद्रास्फीति, ऐसे सभी पेंशनभोगियों के मामले में, चाहे वे 1-6-1988 से पहले या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए हों, उन सभी पर समान प्रभाव पड़ता। पेंशन की गणना के लिए मजदूरी में "महँगाई वेतन" के घटक को जोड़ने का उद्देश्य मुद्रास्फीति के प्रभाव की भरपाई करना है। हमारे सुविचारित विचार में, इसलिए, राज्य सरकार द्वारा किए गए तत्काल वर्गीकरण में

जो 1-6-1988 के बाद एक नुकसान पर सेवानिवृत्त हुए थे, जबकि जो कर्मचारी इससे पहले सेवानिवृत्त हुए थे, उन्हें कम वेतन की अनुमति दी गई थी। "महँगाई वेतन" का घटक स्पष्ट रूप से मनमाना है और

भेदभावपूर्ण, और इस तरह, उल्लंघन के रूप में अलग रखे जाने के लिए उत्तरदायी है

भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 "।

20. उपरोक्त इस न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के आलोक में,

अब वर्तमान मामलों में तथ्यात्मक परिप्रेक्षय पर विचार करें।

21. शुरुआत में यह कहा जाना चाहिए कि पेंशन राशन के परिशिष्ट II में कर्मचारियों को तीन अलग-अलग क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया था और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया v में कर्मचारियों के संबंध में मूल पेंशन पर देय आय राहत दी गई थी।

यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का वेल्फेयर एसो। [उदय उमेश ललित, जे।]

ये तीनों श्रेणियाँ टेपरिंग सूत्र के आधार पर थीं जो प्रत्येक श्रेणी में भिन्न थीं। उन लोगों के संबंध में जो पहली श्रेणी में थे यानी जो जल्द से जल्द सेवानिवृत्त हो गए थे, महँगाई राहत थी

0.67 % मूल पेंशन के पहले स्लैब अर्थात् Rs.1250/- तक। तब दर कम हो गई और अंत में मूल पेंशन का Rs.2130/- से अधिक 0.17% था। वहीं दूसरी श्रेणी में सेवानिवृत्त लोगों के संबंध में, पहले स्लैब के संबंध में महँगाई राहत की दर 0.35 प्रतिशत थी।

अर्थात् Rs.2400/- तक। यहाँ भी महँगाई राहत एक टेपरिंग फॉर्मूले पर थी और अंत में Rs.4100/- से अधिक मूल पेंशन का 0.09% था। तीसरी श्रेणी जो 01.04.1998 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के संबंध में थी, पहले स्लैब के लिए Rs.3380/- तक की दर 0.25% थी। टेपरिंग फार्मूले के अनुसार, यह दर मूल पेंशन का 0.06 प्रतिशत थी जो Rs.5770/- से अधिक थी। यदि 9वें द्विदलीय समझौते का खंड 7 (2) दिनांक 27.04.2010 की तुलना पेंशन विनियमों के परिशिष्ट II की अंतिम श्रेणी से की जाती है, 01.04.1998 से 31.10.2002 की अवधि के दौरान सेवानिवृत्त लोगों के संबंध में शायद ही कोई बदलाव हुआ हो। इस प्रकार, नवंबर 2002 से पहले सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों द्वारा जो भी लाभ प्रदान किया गया था और आनंददायक था, उसे वापस नहीं लिया गया था।

22. यदि दोनों श्रेणियों को दिनांकित 9वें द्विदलीय समझौते द्वारा निपटाया जाता है

27.04.2010 आगे तुलना की जाए तो, 01.11.2002 से पहले के सेवानिवृत्त लोग एक टेपरिंग सूत्र पर महँगाई राहत के हकदार होंगे, जहां Rs.3550/- तक के प्रारंभिक स्लैब को 0.24% के भागफल द्वारा नियंत्रित किया जाना है। टेपरिंग फॉर्मूला तब Rs.6010/- से अधिक मूल पेंशन के 0.06% के साथ समाप्त होता है। प्रारंभिक बिंदु 0.24% के स्तर पर है जबकि अंतिम बिंदु 0.06% तक कम हो जाता है। उन लोगों को अधिकतम लाभ देने की कोशिश की जाती है जो स्लैब के निचले स्तर पर मूल पेंशन प्राप्त कर रहे हैं जिन्हें 0.24% पर महँगाई राहत मिलेगी। इसके विपरीत, 01.11.2002 के बाद सेवानिवृत्त होने वालों को मूल पेंशन के 0.18% की सपाट दर पर महँगाई राहत दी जानी है। सैद्धांतिक रूप से, 01.11.2002 से पहले सेवानिवृत्त लोगों के लिए प्रारंभिक स्तर 01.11.2002 के बाद सेवानिवृत्त लोगों के मुकाबले 0.24% के उच्च स्तर पर है। संभवतः यह कहा जा सकता है कि उन लोगों के लिए जो Rs.6000/- के क्षेत्र में बुनियादी पेंशन के साथ हैं, एक टेपरिंग सूत्र के आधार पर, अंतिम विश्लेषण में, औसत 0.18% के समान स्तर तक हो सकता है। 23. याचिका में जो समानता मांगी गई थी, वह 0.18% की समान दर की प्रयोज्यता के संबंध में नहीं थी, बल्कि "सपाट दर" विचार के संबंध में थी। रिट याचिका के पैरा 30 में दिए गए चित्र जो हमने ऊपर उद्धृत किए हैं, इस मुद्दे को सामने लाते हैं। [2018] 5 एस. सी. आर. के मामले में Rs.7880/- की मूल पेंशन पर Rs.14274/- के महँगाई भत्ते की गणना।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

शांतिप्रिय राय दिनांकित 27.04.2010 द्विदलीय समझौते में दिए गए टेपरिंग सूत्र को ध्यान में रखते हुए हैं। सारणीबद्ध चार्ट फिर के स्लैब दर के साथ महँगाई भत्ते के कारण पूर्ण मुआवजे की गणना करने के लिए आगे बढ़ता है

0.24 % Rs.7880/- की पूरी मूल पेंशन पर जो आंकड़ा रु। 18912 / - . इस प्रकार निवेदन यह था कि महँगाई राहत दी जाए 0.24% पर मूल पेंशन की संपूर्णता के लिए गणना की जाती है न कि केवल Rs.3550/- तक के पहले स्लैब के लिए। लेकिन इस तरह की गणना पूरी तरह से उपेक्षा करती है।

वह दर जो आई. डी. 1 के बाद सेवानिवृत्त होने वालों के मामले में लागू एक सपाट दर है, मूल पेंशन की पूरी राशि के लिए आई. डी. 2 नहीं है, बल्कि आई. डी. 3 के एक अलग स्तर पर है और सूचकांक के तिमाही औसत की सीमा आवश्यकता भी अलग है। यदि हम केवल 01.11.2002 से पहले सेवानिवृत्त लोगों के मामले में 0.18% की समान दर उधार लेते हैं, तो संबंधित सेवानिवृत्त लोगों को नुकसान हो सकता है। उदाहरण के लिए, उक्त शांतिप्रिय राय की Rs.7880/- की मूल पेंशन से 0.18% की सपाट दर के साथ Rs.14184/- का आंकड़ा मिलेगा। इसलिए उसी दर को अपनाना और लागू करना सही नहीं होगा जो पद 01.11.2002 सेवानिवृत्त लोगों के मामले में लागू किया गया है। जिसके लिए प्रार्थना की जाती है वह भी समान दर नहीं है, बल्कि एक ही सिद्धांत है, अर्थात्, फ्लैट दर पूर्व 01.11.2002 सेवानिवृत्त लोगों पर भी लागू की जानी चाहिए, लेकिन 0.24% की दर से। 24. क्या यह सही तरीका होगा? टेपरिंग फॉर्मूला निस्संदेह मूल पेंशन के Rs.3550/- के पहले खंड के लिए 0.24% से शुरू होता है और फिर उत्तरोत्तर नीचे उतरता है और अंत में 0.06% के स्तर तक पहुंच जाता है जहां मूल पेंशन Rs.6010/- से अधिक है। इस तरह के टेपरिंग फार्मूले के माध्यम से जो तैयार किया गया है वह खंडों के निचले स्तरों पर उच्च दर है ताकि बड़ी संख्या में लोगों को अधिकतम लाभ मिल सके और उसके बाद दर कम होती रहे। न ही कर सकते हैं।

हम 0.18% की दर लागू करते हैं जो तब सेवानिवृत्त लोगों को बहुत नुकसान और नुकसान पहुंचाएगी और न ही हम मूल पेंशन की पूरी राशि के लिए 0.24% की एक सपाट दर अपना सकते हैं। टेपरिंग सूत्र द्वारा जो लाभ प्रदान करने की मांग की जाती है, वह औसत में निहित है जो लगभग उसी मात्रा के करीब आता है जो पद 01.11.2002 सेवानिवृत्त लोगों को दिया जाता है। इस पर

यह उल्लेखनीय है कि यह प्रस्तुत करने के लिए कोई उदाहरण रिकॉर्ड पर नहीं रखा गया है कि नवंबर 2002 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले लोग 0.18% महँगाई भत्ते के साथ भी काफी अधिक लाभ के साथ चले जाते हैं।

नवंबर 2002 से पहले के सेवानिवृत्त। किसी भी मामले में, यह ऐसा मामला नहीं है जहां कर्मचारियों के एक वर्ग को केवल सेवानिवृत्ति की तारीख के कारण अलग किया जा रहा है। यदि हम 0.24% की एक

सपाट दर को अपनाते हैं, जैसा कि प्रार्थना की जा रही है, तो 01.11.2002 से पहले सेवानिवृत्त होने वाले सेवानिवृत्त लोगों के वर्ग को यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया v से सम्मानित किया जाएगा।

यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का वेल्फेयर एसो। [उदय उमेश ललित, जे।]

सेवानिवृत्त लोगों का एक पूरी तरह से अलग सूत्र और दरें होती हैं और किसी भी गणना पर संश्लेषण करना या सेवानिवृत्त लोगों के दोनों समूहों को किसी भी सामान्य मापदंड पर रखना संभव नहीं होगा। दोनों वर्ग अलग हैं और करते हैं। एक सजातीय समूह नहीं बनाते हैं। एक सपाट दर को अपनाना बेहद कठिन और खतरनाक होगा जैसा कि अनुमान लगाया जाना चाहिए। यह एक वर्ग के भीतर एक वर्ग बनाने का मामला नहीं है।

25. हमारे विचार में सूत्र या दर के साथ छेड़छाड़ करने का कोई भी प्रयास पूरी योजना को अव्यवहारिक बना देगा जैसा कि आगाह किया गया था।

पी. एन. मेनन और अन्य (उपर्युक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा। जैसा कि इंडियन एक्स-सर्विसेज लीग और अन्य (ऊपर) के मामले में कहा गया है कि डी. एस. नकारा (ऊपर) में इस न्यायालय का निर्णय सीमित अनुप्रयोग में से एक है और सभी को शामिल करने के लिए उस निर्णय के दायरे को बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं है। सेवानिवृत्त लोगों द्वारा बनाई गई योजनाएं या सेवानिवृत्ति की तारीख की परवाह किए बिना समान पेंशन की मांग। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए प्रस्तावों/परिपत्रों पर भी निर्भरता थी

गलत जगह पर रखा गया। यह सच है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा टेपरिंग फॉर्मूला को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन यह अपने आप में 01.11.2002 से पहले सेवानिवृत्त लोगों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लागू की गई उसी दर पर या 0.24% की सपाट दर पर लाभ प्रदान करने का हकदार नहीं बना सकता है, जैसा कि अनुमान लगाया गया था। हमारे सुविचारित विचार में, मद्रास उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा किया गया आकलन बिल्कुल सही था। समझौते को एक पैकेज सौदे के रूप में लिया जाना चाहिए और अन्य हिस्सों को खराब पाते हुए कुछ हिस्सों को अच्छा और स्वीकार्य रखना असंभव होगा। इसके अलावा, दिनांक 02.06.2005 (ऊपर उद्धृत) के द्विदलीय समझौते में डी, ई और एफ पाठ से पता चलता है कि एक पैकेज सौदा किया गया था और सभी लाभों के लिए प्रति वर्ष Rs.1288 करोड़ निर्धारित किए गए थे

कर्मचारियों के लाभ के लिए। कर्मचारियों के एक वर्ग के लिए लाभ का कोई भी कदम प्रति वर्ष Rs.1288 करोड़ के आंकड़े को बढ़ाने के लिए बाध्य है, हालांकि यह अपने आप में एक ऐसा आधार नहीं है जो हमारे लिए भारी हो। हमारे विचार में सेवानिवृत्त लोगों की दोनों श्रेणियां, अर्थात् नवंबर 2002 से पहले और नवंबर 2002 के बाद, अलग-अलग आधार पर खड़ी हैं, महँगाई राहत की गणना को नियंत्रित करने वाले मापदंड भी अलग-अलग स्तर पर हैं।

एकल न्यायाधीश के साथ-साथ डिवीजन [2018] 5 एस. सी. आर. द्वारा दिए गए निर्णय।

उच्च न्यायालय की पीठ इन पहलुओं की सराहना करने में विफल रही और हमारे विचार में उक्त निर्णय पूरी तरह से गलत हैं।

समाप्त हो जाता है। जैसा कि कुन्हयमद और अन्य बनाम के पैराग्राफ 32,41 और 44 में देखा गया है। केरल राज्य और एक अन्य ", एक बार अपील करने की अनुमति दे दी गई थी और इस न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को लागू किया गया था, अपील में पारित आदेश विलय के सिद्धांत को आकर्षित करेगा। चाहे जो भी हो, हम संतुष्ट हैं कि द्विदलीय समझौते ने ऐसा कोई भेद पैदा नहीं किया जो इस न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के साथ असंगत हो। 27. इसलिए हम इन अपीलों की अनुमति देते हैं, अपीलों में पारित निर्णयों और आदेशों को दरकिनार करते हैं और रिट याचिका No.507 को खारिज करते हैं।

2012 प्रत्यर्थी संख्या द्वारा वरीयता दी गई। 1 यहाँ 4 तक। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

देविका गुजराल

अपीलों की अनुमति दी गई और रिट याचिका खारिज कर दी गई।

11 (2000) 6 एस. सी. सी. 359